फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी • मुकाम अजमेर

श्री प्रेम कंवर व अन्य ..... बनाम दयाल व अन्य .....

किस्म मुकदमा 212, नम्बर 87/2015.....सन .....

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही श्री श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
06.11.2017	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 14 व 20 के अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र सिह टांक उपस्थित । प्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित। अप्रार्थीगण सख्या 14 व 20 के अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वाद प्रस्तुति कि दिनांक 20.10.2015 के पश्चात न्यायालय आदेशिका दिनांक 08.03.2016 की पालना में आज दिवस तक प्रतिवादी संख्या 4, 9, 10, 11/1, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 5/1, 5/2 की प्रोपर तलवी हेतु नोटिस तलबाना पेश नही किए गए है। जिस हेतु वादीगण द्वारा आदेशिका दिनांक 8.03.2016 के पश्चात लगभग एक वर्ष छ माह की अवधि व्यतीत हो जाने तथा लगभग 6 अवसर प्राप्त किए जाने के उपरान्त भी न्यायालय आदेश दिनांक 8.03.2016, 15.3.16, 30.3.17, 25.4.17 व 17.7.2017 की पालना नही कि गई है। जिस हेतु वादीगण को आदेशिका दिनांक 17.7.2017 को पूर्व आदेश की पालना किए जाने हेतु निर्देशित किया गया । इसके बावजूद भी प्रार्थीगण द्वारा आज दिवस तक न्यायालय आदेश की पालना नही की गई है ना ही नियमित रूप से जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हो रहे है। जिसे न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरत किए जाने का निवेदन किया गया । हमने पत्रावली का अवलोकन किया जिससे प्रतिवादी संख्या 14 व 20 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की पुष्टि होकर न्यायालय आदेश दिनांक 8.03.16 की प्रभावी आदेशिका दिनांक 17.7.17 के बावजूद लगभग 5 अवसर प्राप्त किए जाने एवं एक वर्ष छ माह की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी पालना नही की गई है। जिससे प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता की उक्त प्रार्थना पत्र को चलाए जाने में ना तो किसी प्रकार की कोई रूचि प्रकट होना प्रतीत होती है ना ही	

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता नियमित रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकरण के बाबत उपस्थित हो रहे है। इस प्रकार कानूनी प्रावधानो के तहत उभय पक्षकार अपने हक अधिकारो के प्रति सजग नही रहता है उसकी न्यायालय की किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नही कर सकता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायालय आदेशो की अदम पालना में निरस्त कर खारिज किया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर